

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम उपरेड़ा तहसील बनेड़ा

पीठासीन अधिकारी – श्री नन्द किशोर राजोरा

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 47/2013 राजस्व वाद

उनवान

1. हेमेन्द्र सिंह पिता मूल सिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मोड़ कंवर पत्नी मूल सिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)  
— (वादीया)

बनाम

1. जोरावर सिंह पिता बहादुर सिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)  
के बजाय
- 1/1 अर्जुन सिंह पिता जोरावर सिंह राजपूत नि० गंगरार जिला चित्तोड़गढ (राज.)
- 1/2 ओम कंवर पिता जोरावर सिंह राजपूत नि० गंगरार जिला चित्तोड़गढ (राज.)
- 1/3 भैरू सिंह पिता जोरावर सिंह राजपूत नि० गंगरार जिला चित्तोड़गढ (राज.)
- 1/4 मानकंवर पिता जोरावर सिंह राजपूत नि० गंगरार जिला चित्तोड़गढ (राज.)
- 1/5 घनश्याम कंवर पिता जोरावर सिंह राजपूत नि० गंगरार जिला चित्तोड़गढ (राज.)
- 1/6 छगन कंवर बेवा जोरावर सिंह राजपूत नि० गंगरार जिला चित्तोड़गढ (राज.)
2. महेन्द्र सिंह पिता रूगनाथ सिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. चन्द्र सिंह पिता रूगनाथ सिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. गोविन्द सिंह पिता रूगनाथ सिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. दिलीपसिंह पिता रूगनाथ सिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. कान कंवर बेवा रूगनाथ सिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. नानू सिंह पिता छोटू सिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. गोगसिंह पिता छोटू सिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. श्याम कंवर पिता छोटू सिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
10. गजराज सिंह पिता छोटू सिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
11. सतु कंवर पिता छोटू सिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
12. अलोल कंवर पत्नी छोटू सिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
13. लक्ष्मण सिंह पिता श्रवण सिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
14. देवराज सिंह पिता अमर सिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
15. समर्थ सिंह पिता छोटू सिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
16. भगवत सिंह पिता अमर सिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
17. सुरेन्द्र सिंह पिता भूर सिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
18. सम्पत सिंह पिता भूर सिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
19. विष्णु कंवर पिता भूर सिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
20. सप्यार कंवर पत्नी भूर सिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
21. जयसिंह पिता मूल सिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
22. स्वरूप कंवर पिता मूल सिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
23. फूल कंवर मूल सिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
24. भंवर सिंह पिता रूपसिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी  
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

नन्द किशोर राजोरा

25. सनसिंह पिता रूपसिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)  
 26. सेवान सिंह पिता रूपसिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा  
 27. खेमसिंह पिता रूपसिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)  
 28. लादुसिंह पिता रूपसिंह राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)  
 29. लक्ष्मण सिंह माता पारस कंवर राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)  
 30. जितेन्द्र सिंह माता पारस कंवर राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)  
 31. गोपाल सिंह माता पारस कंवर राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)  
 32. नन्द कंवर माता पारस कंवर राजपूत नि० उपरेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)  
 33. बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)  
 34. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 व 188 आर०टी०ए० बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात  
 उपस्थित -

1. श्री के०के० देराश्री (अधिवक्ता वादी)
2. श्री अरुण देराश्री (अधिवक्ता प्रतिवादी)

निर्णय

दिनांक - 18.06.2015

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वाद वादीगण अन्तर्गत 53, 54 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए वादीगण की ओर से न्यायालय में निवेदन किया की वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 33 के नाम ग्राम उपरेड़ा तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 खाता संख्या 1 व 33 की आ०न० 620 रकबा 5-02 बीघा, आ०न० 1163 रकबा 9-17 बीघा, आ०न० 1164 रकबा 13-19 बीघा, आ०न० 1165 रकबा 14-02 बीघा, आ०न० 1166 रकबा 20-14 बीघा, आ०न० 1167 रकबा 21-13 बीघा, आ०न० 1169 रकबा 0-12 बीघा, आ०न० 1170 रकबा 0-11 बीघा, आ०न० 1171 रकबा 0-04 बीघा, आ०न० 1172 रकबा 0-03 बीघा, आ०न० 1173 रकबा 0-03 बीघा, आ०न० 1949 रकबा 0-04 बीघा, आ०न० 2018 रकबा 0-03 बीघा, आ०न० 2028 रकबा 1-15 बीघा, आ०न० 2132 रकबा 0-01 बीघा, आ०न० 2133 रकबा 2-11 बीघा, आ०न० 2134 रकबा 8-02 बीघा, आ०न० 2135 रकबा 11-00 बीघा, आ०न० 2136 रकबा 7-05 बीघा, आ०न० 2137 रकबा 8-07 बीघा, आ०न० 2138 रकबा 9-00 बीघा, आ०न० 2139 रकबा 1-17 बीघा, आ०न० 2140 रकबा 2-11 बीघा, आ०न० 2141 रकबा 2-11 बीघा, आ०न० 2142 रकबा 2-01 बीघा, आ०न० 2143 रकबा 1-13 बीघा, आ०न० 2144 रकबा 1-07 बीघा कुल कित्ता 27 रकबा 147-08 बीघा आराजियात स्थित हैं। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी गण संख्या 1 से 33 का हिस्सा निहित हैं। वादी शामिल आराजियात होने से अपने हक हिस्से की आराजी का समुचित ढंग से विकास नहीं कर सकता हैं। प्रतिवादी बंटवारा कराने को सहमत नहीं हैं इसलिए वाद वादीगण स्वीकार फरमाते हुये डिक्री से वादग्रस्त आराजियात में से वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये बाई मीट्स एण्ड बारुण्ड से विभाजन करा एवं राजस्व रिकार्ड में पृथक से वादी का नाम खाता कायम करने की डिक्री पारित की जावे साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री भी पारित की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण के जरिए नोटिस तलब किया गया एवं वाद को राजस्व लोक अदालत में दिनांक 18.06.2015 को ग्राम उपरेड़ा में निस्तारण हेतु उभयपक्षों को जरिये नोटिस तलब किया गया।  
 अधिवक्ता वादी श्री के०के० जीनगर व अधिवक्ता प्रतिवादी श्री अरुण देराश्री एवं वादीगण व प्रतिवादी गण राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होकर वादीगण व प्रतिवादी गण

उपरोक्त अधिकारी  
 सेवा (भीलवाड़ा)

अपने हक हिस्से अनुसार कब्ज का आधार बनाया हुआ है। आराजियात बटंवारा बाबत हैं एवं पक्षकारान भी सहमत होने से लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुये वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस आशय की जारी की जावे की ग्राम उपरेड़ा तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 खाता संख्या 290 की आ0न0 620 रकबा 5-02 बीघा, आ0न0 1163 रकबा 9-17 बीघा, आ0न0 1164 रकबा 13-19 बीघा, आ0न0 1165 रकबा 14-02 बीघा, आ0न0 1166 रकबा 20-14 बीघा, आ0न0 1167 रकबा 21-13 बीघा, आ0न0 1169 रकबा 0-12 बीघा, आ0न0 1170 रकबा 0-11 बीघा, आ0न0 1171 रकबा 0-04 बीघा, आ0न0 1172 रकबा 0-03 बीघा, आ0न0 1173 रकबा 0-03 बीघा, आ0न0 1949 रकबा 0-04 बीघा, आ0न0 2018 रकबा 0-03 बीघा, आ0न0 2028 रकबा 1-15 बीघा, आ0न0 2132 रकबा 0-01 बीघा, आ0न0 2133 रकबा 2-11 बीघा, आ0न0 2134 रकबा 8-02 बीघा, आ0न0 2135 रकबा 11-00 बीघा, आ0न0 2136 रकबा 7-05 बीघा, आ0न0 2137 रकबा 8-07 बीघा, आ0न0 2138 रकबा 9-00 बीघा, आ0न0 2139 रकबा 1-17 बीघा, आ0न0 2140 रकबा 2-11 बीघा, आ0न0 2141 रकबा 2-11 बीघा, आ0न0 2142 रकबा 2-01 बीघा, आ0न0 2143 रकबा 1-13 बीघा, आ0न0 2144 रकबा 1-07 बीघा कुल किता 27 रकबा 147-08 बीघा आराजियात का बहस वाद मे सुनी गई। वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादग्रस्त आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड विभाजन करते हुये राजस्व रिकॉर्ड मे खाता पृथक-पृथक से अंकन करते हुये बटंवारा किया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाती हैं।

:: आदेश ::

दिनांक - 18.06.2015

वाद पत्र वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम उपरेड़ा तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 खाता संख्या 290 की आ0न0 620 रकबा 5-02 बीघा, आ0न0 1163 रकबा 9-17 बीघा, आ0न0 1164 रकबा 13-19 बीघा, आ0न0 1165 रकबा 14-02 बीघा, आ0न0 1166 रकबा 20-14 बीघा, आ0न0 1167 रकबा 21-13 बीघा, आ0न0 1169 रकबा 0-12 बीघा, आ0न0 1170 रकबा 0-11 बीघा, आ0न0 1171 रकबा 0-04 बीघा, आ0न0 1172 रकबा 0-03 बीघा, आ0न0 1173 रकबा 0-03 बीघा, आ0न0 1949 रकबा 0-04 बीघा, आ0न0 2018 रकबा 0-03 बीघा, आ0न0 2028 रकबा 1-15 बीघा, आ0न0 2132 रकबा 0-01 बीघा, आ0न0 2133 रकबा 2-11 बीघा, आ0न0 2134 रकबा 8-02 बीघा, आ0न0 2135 रकबा 11-00 बीघा, आ0न0 2136 रकबा 7-05 बीघा, आ0न0 2137 रकबा 8-07 बीघा, आ0न0 2138 रकबा 9-00 बीघा, आ0न0 2139 रकबा 1-17 बीघा, आ0न0 2140 रकबा 2-11 बीघा, आ0न0 2141 रकबा 2-11 बीघा, आ0न0 2142 रकबा 2-01 बीघा, आ0न0 2143 रकबा 1-13 बीघा, आ0न0 2144 रकबा 1-07 बीघा कुल किता 27 रकबा 147-08 बीघा मे वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 33 के हक हिस्से अनुसार विभाजन हेतु तहसीलदार बनेड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता हैं कि वाद पत्र मे दर्ज आराजियात का बटंवारा किया जावे। राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 की पालना करते हुये बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड विभाजन करते हुये विभाजन सूची मय नक्शा ट्रेस तैयार कर न्यायालय मे प्रस्तुत करे। इसी अनुसार प्रारम्भिक डिक्री मुर्तिब हो। निर्णय आज दिनांक 18.06.2015 को खुले न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प उपरेड़ा मे सुनाया गया।

(नन्द किशोर राजोरा)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बनेड़ा (जिला भीलवाड़ा)

लक्ष्मणदास